"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 270]　　रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 जुलाई 2017 —— आषाढ़ 13, शक 1939

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 जून 2017

अधिसूचना

क्रमांक 1293/943/22-1/2017.— छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 95 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निबंधन तथा शर्तें) नियम, 1999 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 10 में,-

   (क) उप-नियम (2) में, खण्ड (ख) में, शब्द "व्यास" के स्थान पर, शब्द "त्रिज्या" प्रतिस्थापित किया जाये, तथा

   (ख) उप-नियम (4) में, शब्द "व्यास" के स्थान पर, शब्द "त्रिज्या" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. मिश्रा, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 8 जून 2017

क्रमांक 1293/943/22-1/2017. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1293/943/22-1/2017, दिनांक 8-6-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. मिश्रा, सचिव.

Naya Raipur, the 8th June 2017

NOTIFICATION

No. 1293/943/22-1/2017— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Gram Panchayat (Registration of Colonizer Terms and Conditions) Rules, 1999, the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 10 -

   (a) in sub-rule (2), in clause (b), for the word "diameter", the word "radius" shall be substituted; and

   (b) in sub-rule (4), for the word "diameter", the word "radius" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. C. MISHRA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.